

मेन्युअल -5

क्र.	वर्ग	दस्तावेज का नाम एवं संक्षिप्त परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी	धारक/ नियंत्रणाधीन
1.	नियम	म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 की उपधारा (1),(2) और (3), धारा 24 और धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 131 (1),(2),(5),(6) तथा (7) और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003- दि. 30.9.03 को अधिसूचित तथा 1.10.03 से लागू।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
2.	आदेश	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती पाँचों कंपनियों को स्वायत्तता प्रदान किये जाने के संबंध में (दि. 31.5.05 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।	अनुभाग अधिकारी
3.	आदेश	प्रदेश में विद्युत चोरी के प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (एक) के अंतर्गत (दि. 16.6.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
4.	आदेश	विद्युत चोरी के प्रकरणों में आंकलन हेतु अधिकारियों को निरीक्षण, तलाशी एवं जब्ती के अधिकार (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत आदेश दि. 17.5.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
5.	आदेश	विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में किए गए निर्धारण पर अपील की प्रक्रिया (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अंतर्गत अधिसूचना दि. 30.7.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी

6.	आदेश	विद्युत चोरी के प्रकरण में कम्पाउंडिंग हेतु अधिकारी को अधिकृत किए जाने के संबंध में (विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 152 की उपधारा के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दि. 26.6.04 को जारी)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
7.	आदेश	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए राज्य शासन की प्रोत्साहन नीति	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
8.	अधिनियम	म.प्र. ऊर्जा उपकर अधिनियम, 1981- विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर राज्यशासन द्वारा उपकर लगाने बाबत।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।	अनुभाग अधिकारी
9.	नियम	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 180 की उपधारा(2) के खण्ड (छः) के साथ पठित धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग निधि की स्थापना संबंधी, अधिसूचना (आयोग के बजट, प्रशासकीय व्यय, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तों से संबंधित)(दि. 6 मई, 2005 को अधिसूचित)।	लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से आवेदन देकर प्राप्त किये जा सकते हैं	अनुभाग अधिकारी
10.	नियम	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग की स्थापना (इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट,1998 की धारा 17 की उपधारा (1) और (3) के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दि. 18.8.98 को जारी एवं 20.8.98 को अधिसूचित विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 82 के अंतर्गत मान्य)	--तदैव--	--तदैव--
11.	आदेश	राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना (विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत (आदेश दि. 17.5.04	--तदैव--	--तदैव--

		को जारी)		
12.	अधिसूचना	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना दि. 17.5.04 द्वारा म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दि. 1.6.04 से स्टेट ट्रांसमिशन युटिलिटी के रूप में अधिसूचित किया गया।	--तदैव--	--तदैव--
13.	आदेश	अध्यक्ष, म.प्र.राज्य विद्युत नियामक आयोग की अध्यक्षता में राज्य समन्वय फोरम का गठन (विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत (आदेश दि. 17.5.04 को जारी)	--तदैव--	--तदैव--
14.	अधिसूचना	विद्युत चोरी , विद्युत लाइनों एवं सामग्री की चोरी के प्रकरणों में पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में वाद दायर करने हेतु अधिकृत करने बाबत् (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 151 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना दि. 21.2.05 को जारी)	--तदैव--	--तदैव--
15.	अधिसूचना	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को अनुज्ञप्तिधारक के रूप में विद्युत व्यापार (ट्रेडिंग) का कार्य दि. 9 दिसम्बर 2005 तक जारी रखने बाबत् (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 () के अंतर्गत अधिसूचना दि. 6 जून 2005 को जारी)	--तदैव--	--तदैव--
16.	नियम	म.प्र.विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 23 की उपधारा (1),(2) और (3), धारा 24 और धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 131 की उपधारा (1),(2),(5),(6) एवं (7) तथा धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (संशोधन) - दि. 13 जून, 2005 को अधिसूचित	--तदैव--	--तदैव--
17.	नियम	म.प्र. विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (संशोधन)- (प्रविजनल अवधि की सीमा बढ़ाने बाबत्) - दि. 27 दिसम्बर, 04 को अधिसूचित	--तदैव--	--तदैव--
18.	अधिनियम	म.प्र. विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 -	--तदैव--	--तदैव--

		विद्युत प्रदाय, विक्रय एवं उपभोग पर राज्य शासन को कर लगाने का अधिकार		
19.	अधिनियम	म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्र. 4 सन् 2001) - प्रदेश में विद्युत क्षेत्र सुधार, टैरिफ निर्धारण , विद्युत मंडल के पुनर्गठन से संबंधित- (दि. 20.2.2001 को अधिसूचित एवं 3.7.01 से लागू) ।	--तदैव--	--तदैव--
20.	आदेश	आगामी रबी सीजन (वर्ष 2005-06) में विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के अंतर को देखते हुए लागू किये जाने वाले पुनरीक्षित विद्युत विनियमन के आदेश (आदेश दि.24.9.05 को जारी)	-तदैव-	-तदैव-
21	आदेश	बिजली चोरी एवं अनाधिकृत उपभोग के प्रशमन हेतु ली जाने वाली राशि को लेने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति	-तदैव-	-तदैव-
22	आदेश	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 52 की उपधारा (1) के परंतुक में दी हुई बिजली के अपराधो के प्रशमन हेतु दी हुई दरों का राज्य शासन द्वारा युक्तियुक्त करण करने के संबंध में अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2006	तदैव	तदैव
23	आदेश	बिजली चोरी एवं अनाधिकृत उपभोग के प्रशमन हेतु ली जाने वाली राशि को लेने के लिये फ्रेंचाइजी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति। संशोधन आदेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 को जारी।	तदैव	तदैव
24	आदेश	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप म.प्र. विद्युत मंडल के कार्यरत अधिकारियों@कर्मचारियों को उत्तरती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में विभाजित करने के लिये जारी मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 31 मार्च, 2006 को वापस लेने के संबंध में आदेश जारी।	तदैव	तदैव
25	नियम/आदेश	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 171 की उपधारा (1) के अधीन किसी परिसर के किसी उपभोक्ता को नोटिस आदेश तथा दस्तावेजो को शामिल करने की रीति के संबंध में	तदैव	तदैव

		अधिसूचना दिनांक 7.4.06 को जारी।		
26	आदेश	अनुज्ञप्तिधारी कंपनियों के क्षेत्राधिकार में विद्युत के पारेषण/वितरण कार्यों के संपादन के लिये भारतीय टेलीग्राफ आफिसर की शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधी अधिसूचना दि. 11.10.07 को जारी।	तदैव	तदैव
27	आदेश	भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों के निरीक्षण के शुल्क की दरों में परिवर्धन। आदेश दिनांक 3 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित।	तदैव	तदैव
28	आदेश	विद्युत अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाये गये म.प्र. अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में संशोधन के लिये मध्यप्रदेश विद्युत अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960 में संशोधन दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को किया गया।	तदैव	तदैव
29	आदेश	म.प्र. में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 तथा 14 नवंबर, 2007 को अधिसूचना जारी की गई।	तदैव	तदैव
30	आदेश	राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये होटलों में जनरेशन स्टेशन (केप्टिव पावर प्लांट) की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा 3 की उपधारा (ख) के अधीन विद्युत शुल्क में छूट प्रदान करने के लिये अधिसूचना जारी।	तदैव	तदैव

ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाये

क्र	अधिसूचना क्रमांक एवं जारी करने की तिथि	विषय	प्रकाशन की तिथि	पृष्ठों की संख्या
1	2	3	4	5
1	<u>1086—एफ.3—20—13— 98 दिनांक 19फरवरी,2001</u>	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें)नियम 2000	2 मार्च, 2001	4
2.	<u>919—वी.नी.आ..—2001 दिनांक 9 अक्टूबर, 2001</u>	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, प्रक्रिया एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2001	2 नवंबर, 2001	12
3	<u>6259 / एफ.आर.एस. / 17 / 13 / 2002 दिनांक 30.09.2003</u>	म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003 ।	30 सितम्बर, 2003	44
4	<u>2489—तेरह—2004 दिनांक 17.5. 2004</u>	राज्य विद्युत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना ।	17 मई, 2004	1
5	<u>2491—तेरह—2004 दिनांक 17.5. 2004</u>	राज्य समन्वय फोरम का गठन ।	17 मई 2004	1'
6	<u>4300—तेरह—2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004</u>	मध्यप्रदेश विद्युत (अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील)नियम,2004	30.07.2004	3'
7	<u>4500—तेरह—2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004</u>	मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी की नियुक्ति ।	30 जुलाई, 2004	1
8	<u>4502—तेरह—2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004</u>	मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत बिजली के अपराधों के प्रशमन हेतु धन की राशि को स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति ।	30 जुलाई, 2004	1'
9	<u>5691 / 13 / 2004 दिनांक 29. सितंबर.2004</u>	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में विद्युत शुल्क में छूट ।	29.सितंबर. 2004	2'
10	<u>7592—तेरह—2004 दिनांक 27. दिसम्बर.2004</u>	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल के विद्युत व्यापार के अनुज्ञापतिधारी के रूप में कार्य करने के संबंध में ।	27.दिसम्बर. 2004	1
11	<u>1342 / 13 / 2005 दिनांक 21.02.</u>	मध्यप्रदेश विद्युत	21.02.2005	1

	<u>2005</u>	अधिनियम,2003 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति।		
12	<u>2768-तेरह-2005 दिनांक 20. अप्रैल.2005</u>	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग निधि नियम,2005	6 मई,2005	6
13	<u>3848 / एफ.आर.एस. / 4 / तेरह / 2001 दिनांक 06जून,2005</u>	म.प्र.राज्य विद्युत मंडल के विद्युत व्यापार के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करने के संबंध में।	6 जून,2005	1
14	<u>4003 / एफ.आर.एस. / 17 / तेरह / 2002 दिनांक 13जून 2005</u>	म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003-संशोधन।	13 जून 2005	13
15	<u>5921 दिनांक 30.8.2005</u>	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 166(5) के अन्तर्गत जिला समितियों का गठन।	30.8.2005	1
16	<u>5459-295-इक्कीस-अ(प्रा.) दिनांक 5सितम्बर,2005</u>	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम,2005	5 सितम्बर, 2005	2
17	<u>157-विधान-2005 दिनांक 2जनवरी,2006</u>	मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	2 जनवरी, 2006	1
18	<u>767-49-इक्कीस.अ(प्रा.) दिनांक 1 फरवरी,2006</u>	मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,2005	1 फरवरी, 2006	2
19	<u>2010-एफ.13- 5- तेरह - 2006 दिनांक 25मार्च, 2006</u>	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 14 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की घोषणा।	25 मार्च, 2006	1
20	मार्गदर्शी सिद्धांत	पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप,पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में विभाजन हेतु।	31 मार्च, 2006	11
21	<u>2010-एफ.13- 5- तेरह - 2006 दिनांक 25मार्च, 2006</u>	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 14 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की घोषणा।	7 अप्रैल, 2006	1
22	<u>3159-एफ.आर.एस.- 18-2002- तेरह दिनांक 19मई, 2006</u>	म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003में संशोधन	19 मई, 2006	1

23	<u>3346 / 13 / 2006 दिनांक 27मई, 2006</u>	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में विद्युत शुल्क में छूट में संशोधन	27 मई, 2006	1
24	<u>3346-तेरह-2006 दिनांक 27मई,2006</u>	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की अधिसूचना क्रमांक 5691 -तेरह-2004 दिनांक 29सितम्बर, 2004 में संशोधन।	9 जून, 2006	1
25	<u>4052-एफ-11-310-तेरह-2004 दिनांक 30जून,2006</u>	मध्यप्रदेश विद्युत(अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील) नियम,2004 में संशोधन।	30 जून, 2006	1
26	<u>4054-4948-2005-तेरह दिनांक 30जून,2006</u>	विद्युत अधिनियम,2003 के अन्तर्गत बिजली के अपराधों के प्रशमन हेतु धन की राशि का युक्तियुक्तकरण।	30 जून, 2006	2
27	<u>4075-एफ-16-26-05- बी -ग्यारह-तेरह-दिनांक 30 जून, 2006</u>	कास्टिक सोडा उद्योगों को विद्युत शुल्क में छूट।	30 जून, 2006	1
28	<u>4328-तेरह-2006 दिनांक 12जुलाई,2006</u>	मेगा प्रोजेक्ट को विद्युत शुल्क में छूट।	21 जुलाई,2006	2
29	<u>7403-एफ-2-06-2006-तेरह दिनांक 14नवम्बर 2006</u>	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 85(1) के अधीन म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन।	14 नवम्बर , 2006	1
30	<u>17 (ई) 83 / 03 / 21-ब (एक) दिनांक 6 दिसंबर, 2006</u>	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 153 (2) के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष न्यायालय का गठन (पुनरीक्षित अधिसूचना)-विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा।	6 दिसंबर, 2006	10
31	<u>819 / 13 / 2007 दिनांक12.02.2007</u>	राज्य में पर्यटन को प्रोस्ताहन देने के लिये होटलों में जनरेशन स्टेशन की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 3-ख के अधीन विद्युत शुल्क में छूट।	12.02.2007	1'
32	<u>2076-म.प्र.वि.नि.आ.-2006 दिनांक 22अगस्त,2006</u>	919-वी.नी.आ.-2001 दिनांक 9 अक्टूबर,2001 में अधिसूचित	22.08.2006	19

		आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के पदों, अर्हताओं में संशोधन		
33	<u>एफ-1-05 / 2007 / तेरह दिनांक 6.10.2007</u>	4502-तेरह-2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004 में संशोधन	06.10.2007	
34		मार्गदर्शी सिद्धांत को वापस लिया गया		1
35	<u>एफ-2-01 / 2008 / तेरह दिनांक 13.03.2008</u>	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 85(1) के अधीन म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन।	13.03.2008	1
36	<u>एफ-1-04 / 2007 / तेरह दिनांक 11.09.2007</u>	ऊर्जा विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 2495-तेरह-2004 दिनांक 17मई,2004 में संशोधन	11.09.2007	1
37	<u>2312 / 13 / 2006 दिनांक 7 / 4 / 2006</u>	विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 171 (1) के अधीन किसी परिसर के किसी उपभोक्ता को नोटीस,आदेश अथवा दस्तावेज को तामील करने की रीति नियम	07.04.2006	1
38	<u>एफ-1-3 / 2007 / तेरह दिनांक 11.10.2007</u>	अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के क्षेत्राधिकार में विद्युत के पारेषण/वितरण के लिये टेलिग्राफ आफिसर की शक्तियों का प्रत्यायोजन	11.10.2007	1
39	<u>एफ-5-06 / 2006 / तेरह दिनांक 03अप्रैल,2007</u>	भारतीय विद्युत अधिनियम,1910 के अधीन निरीक्षण शुल्क की दरों में संशोधन	03.04.2007	13
40	<u>एफ-1-1 / 2006 / तेरह दिनांक 20.04.2007</u>	भारतीय विद्युत नियम,1956 क नियम 45 के अन्तर्गत म.प्र. अनुज्ञापन मंडल(विद्युत) विनियम,1960 में संशोधन	27.04.2007	2
41	<u>2463-एफ.आर.एस.-18 - 2002 -तेरह दिनांक 31मार्च,2008</u>	म.प्र.विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम,2003 के खण्ड 1(क)में समयावधि में संशोधन	31.03.2008	1
42	<u>2088-FRS-4 - XIII- 2001 दिनांक 19मार्च,2008</u>	State Government has notified Madhya Pradesh Electricity Reforms Transfer Scheme Rules,2006-for bulk purchase and supply of electricity, power vested to Madhya Pradesh Power Trading Company	19.03.2008	4

		Limited(TRADECO)		
43	6591-एफ-18-10-तेरह-03 दिनांक 17अक्टूबर, 2006	मध्यप्रदेश में अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन	17.10.2006	6
44	एफ-03-24-तेरह-2006 दिनांक 14नवम्बर, 2007	मध्यप्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये 25 मेगा वाट की क्षमता तक समस्त लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित या उपभुक्त विद्युत ऊर्जा पर एवं प्रोत्साहन नीति के अधीन स्थापित अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित या उपभुक्त विद्युत ऊर्जा केप्टिव इकाई द्वारा क्षमता का 70 प्रतिशत उत्पादन करने पर ऊर्जा विकास उपकर से छूट देने के संबंध में अधिसूचना	14.11.2007	2
45	एफ-02-06-तेरह-2007 दिनांक 20अप्रैल, 2007	4500-तेरह-2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004 में संशोधन		1
46	एफ-18-10-तेरह-93 दिनांक 12मई, 2008	अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु अधिसूचित नीति में संशोधन	16.05.2008	1
47	238 - एफ.आर.एस. - 17 - तेरह - 2002 दि. 11.1.11	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 133, म.प्र. विद्युत सुधार अधिनियम 2000 की धारा 24 के अनुकरण में आदेश क्र. 8460/एफ.आर.एस. -17-तेरह-2002 दि. 30.11. 10 में संशोधन	11 जनवरी 2011	1
48	एफ - 2 -16 - 2008 - तेरह दि. 17 फरवरी 2011	तीनों वितरण कंपनियों के कार्यपालन यंत्रियों को विद्युत निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने संबंधी आदेश	17 फरवरी 2011	2
49	1083/2011/1-9 दि. 31.3.2011	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) नियम 2011	31 मार्च 2011	44
50	4353 -एफ - 3 -24 - 2009 - गण दि. 18.05.2011	Reallocation of Generating Capacity to Discom	18 मई 2011	5

51	<u>1083 / 2011 / 1-9 दि. 2.07.2011</u>	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) नियम 2011 अधिसूचना कं. 1083 / 2011 / 1-9 दि. 31.03. 2011 में संशोधन	2 जुलाई 2011	34
52	<u>एफ 3 – 20 – 1998 – तेरह दि. 3.8.2011</u>	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम 2000 में संशोधन	3 अगस्त 2011	2
53	<u>9966 / 13 / 2011 दि. 4.10.11</u>	म.प्र. राज्य (ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना) भूमि प्रबंधन नियम 2011	4.10.2011	18
54	<u>एफ 3 – 20 – 1998 – तेरह दि. 28.10.2011</u>	म.प्र. राजपत्र (असाधारण कं. 373) दि. 3.8.11 में प्रकाशित किए गए ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दि. 3.8.2011 का शुद्धि पत्र	28.10.2011	1
55	<u>एफ 2 – 6 / 2007 / तेरह दि. 21. 11.2011</u>	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127, के अधीन अपील प्रयोजन के लिये अपील प्राधिकारी बाबत।	21.11.2011	25
56	<u>एफ 5 – 06 / 2006 / तेरह दि. 29. 11.2011</u>	भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अधीन किए जाने वाले परीक्षण के लिये फीस की दर	29.11.2011	15
57	<u>775-13-2012 दिनांक 31.01.2012</u>	Resolution related to the redressal of the grievance & complaints of the project affected persons of shri maheshwar hydel power corpn	31.01.2012	2
58	<u>1436-एफ-3-4 / 2012 / तेरह दिनांक 24 फरवरी 2012</u>	मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम 2003 में संशोधन	24 फरवरी 2012	5
59	<u>एफ 3-34-2009-तेरह दिनांक 05 03 2012</u>	मध्यप्रदेश पूर्व आदेश कं. 6043-तेरह-05 दिनांक 30.8. 2005 में संशोधन	05 मार्च 2012	1
60	<u>2657/F-3-4-2012/XIII दिनांक 29. 03.2012</u>	Amendements in cashflow mechenism	29.03.2012	10
61	<u>2660/F-3-24/2009/XIII दिनांक 29. 03.2012</u>	Reallocation in the capacity available as on may 2011 vide notification no 4353-f-3-24-2009-XIII dtd 18/05/2011	29.03.2012	6
62	<u>2988-F.RS-17-XIII-2002 दिनांक 10.04.2012</u>	Final transfer & absorption of persond from MPSEB to successor entities	10.04.2012	32

63	<u>3081-13-2012 दिनांक 13.04.2012</u>	म.प्र.राज्य (ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना भूमि प्रबंधन नियम 2011 में संशोधन)	13.04.2012	1
64	<u>3083-F-3-4-2012-XIII दिनांक 13.04.2012</u>	Order for transfer & assign the function of cash flow mechanism to MP power Mange.co.	13.04.2012	12
65	<u>3416-XIII-2012 दिनांक 13.04.2012</u>	MPSEB Wound up	26.04.2012	1
66	<u>F-1-01/09/XIII दिनांक 28.05.2012</u>	The Madhya Pradesh (investment in power generation project)	28.05.2012	6
67	<u>F-2-4-2012-13 दिनांक 7.06.2012</u>	विद्युत के पारेषण एवं वितरण हेतु अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए आवेदन शुल्क नियम 2012	7.06.2012	2
68	<u>F-1-04-2007-13 दिनांक 8.10.2012</u>	फ्रैन्चाईजी के अधिकारियों को बिजली के प्रकरणों में विशेष न्यायालयों में लिखित परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत करने संबंधी	8.10.2012	1
69	<u>F-2-20-2011-13 दिनांक 2.11.2012</u>	सदस्य (तकनीकी) एवं सदस्य (इकोनामिक्स) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति बावत्	2.11.2012	1
70	<u>F-2-12/2012/XIII दिनांक 26.11.2012</u>	Amendment in oder no.2988-F.R.S-17-13 date 10-4-2012	26.11.2012	1
71	<u>6361-F-2-20-2011-XIII दिनांक 30.11.2012</u>	Appointments in MPERC	30.11.2012	1

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

म.प्र. पावर सेनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड जबलपुर

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र. पावर सेनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कार्य)	मई, २००६ से क्रियाशील, शोक विद्युत कय/विकय
संबद्ध संस्था की भूमिका	प्रदेश में शोक विद्युत आपार का कार्य एवं विकास ।
स्वरूप एवं वर्तमान संचालक	श्री इकबाल सिंह बैस (आ.प्र.से.) - अध्यक्ष श्री संजय कुमार शुक्ला (आ.प्र.से.) - प्रबंध संचालक श्री महेश कुमार अग्रवाल (आ.प्र.से.) - संचालक श्री आकाश त्रिपाठी, (आ.प्र.से.) - संचालक श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, (आ.प्र.से.) - संचालक श्री विवेक पोरवाल, (आ.प्र.से.) - संचालक श्रीमती गौरी सिंग, (आ.प्र.से.) - स्वतंत्र संचालक श्री एस.एस. सिंग - स्वतंत्र संचालक श्री एस.सी. पारिख - स्वतंत्र संचालक श्री अध्यक्ष कुमार वर्मा - संचालक श्री नीरज अग्रवाल - संचालक
मुख्य अधिकारी का नाम	१. श्री इकबाल सिंह बैस (आ.प्र.से.) - अध्यक्ष २. श्री संजय कुमार शुक्ला (आ.प्र.से.) - प्रबंध संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
बैठक की आवृत्ति	बैसासिक बैठक (प्रत्येक तीमाह के अंतराल में एक बैठक) अथवा वर्ष में चार बैठके।
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त वैधर किया जाता है	जी हाँ।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दें।	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।

म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

संबद्ध संस्था का नाम व पता	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, शक्तिभवन, रामपुर जबलपुर
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कार्य)	जुलाई, ०२ से क्रियाशील/प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कार्य । दिनांक १ जून, २००५ से पूर्ण स्वायत्त ।
संबद्ध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी

संवाद संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.जबलपुर
संवाद संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संवाद संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्य)	जुलाई, ०२ से क्रियाशील/प्रदेश में विद्युत पारेषण का कार्य। दिनांक १ जून, २००५ से पूर्ण स्थापना।
संवाद संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी
स्वरूप	शासकीय कंपनी
वर्तमान सदस्य	म.प्र. शासन द्वारा नामांकित पदेन सदस्य १. श्री इकबाल सिंह बैस (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष २. श्री रवि सेठी - प्रबंध संचालक ३. श्री महेश कुमार अग्रवाल (भा.प्र.से.) - संचालक ४. श्री वी.के.तिवारी - संचालक (तकनिकी) ५. श्री एस.सी.पारिख - स्वतंत्र संचालक ६. श्री बी. सिन्हा - स्वतंत्र संचालक ७. प्रो. अपराजिता ओझा - स्वतंत्र संचालक ८. श्री एस.के.शर्मा - संचालक
मुख्य अधिकारी का नाम	१. श्री इकबाल सिंह बैस (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष २. श्री रवि सेठी - प्रबंध संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिसवन, रामपुर, जबलपुर
बैंड की आवृत्ति	वर्ष में न्यूनतम चार बैंडके
क्या बैंड में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैंड का कार्यरत बैयार किया जाता है	जी हाँ।
क्या जनता बैंडक का कार्यरत प्राप्त कर सकती है	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।
अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दे।	

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.जबलपुर

संवाद संस्था का नाम एवं वर्तमान सदस्य	शासकीय कंपनी-
वर्तमान सदस्य	श्री इकबाल सिंह बैस (भा.प्र.से.) श्री ए.पी. शेरवे श्री महेश कुमार अग्रवाल (भा.प्र.से.) श्री एस.के.रुवे श्री एस.एन. गार्गी, प्रो. अपराजिता ओझा श्री मजीद सिंग श्री ए.के.टेनर श्री नीरज अग्रवाल
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री ए.पी. शेरवे - अध्यक्ष श्री ए.पी. शेरवे - प्रबंध संचालक श्री इ.के.रुवे - संचालक श्री मजीद सिंग - स्वतंत्र संचालक प्रो. अपराजिता ओझा - स्वतंत्र संचालक श्री मजीद सिंग - स्वतंत्र संचालक श्री ए.के.टेनर - संचालक(तकनिकी) श्री नीरज अग्रवाल - संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	शक्तिसवन, रामपुर, जबलपुर
बैंड की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में चार)
क्या बैंड में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैंड का कार्यरत बैयार किया जाता है	जी हाँ।
क्या जनता बैंडक का कार्यरत प्राप्त कर सकती है	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।
अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दे।	

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमि. जबलपुर

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमि. शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर।
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (उद्देश्य/मुख्य कार्य)	जुलाई, २००२ से क्रियाशील। जबलपुर, सागर एवं सीवा संभागों में विद्युत वितरण का कार्य। दिनांक १ जून, २००५ से पूर्ण स्थापना।
संबद्ध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी
संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमि. निहा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल
संबद्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषदसमिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संबद्धसंस्था कासंक्षिप्त परिचय (उद्देश्य/मुख्यकर्म)	जुलाई, २००२ से क्रियाशील। ग्वालियर एवं भोपाल संभाग में विद्युत वितरण का कार्य। दिनांक १ जून, २००५ से पूर्ण स्थापना।
संबद्ध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी

म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमि.भोपाल

संबद्ध संस्था का नाम	श्री संजय कुमार शुक्ला (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष श्री मूकेश चन्द गुप्ता (भा.प्र.से.) -प्रबंध संचालक
मुख्य कार्यपालय का पता	शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर
बैठक की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में बार)
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त वैधर किया जाता है	जी हाँ।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है	कंपनी अधिनियम १९५६ के प्रावधान के अनुसार
?	अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दें।

संवर्द्ध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.पशुधन क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमि. जीपीएस कम्पाउंड,पोलो ग्राउंड, इंदौर।
संवर्द्ध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	लिमिटेड कंपनी
संवर्द्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कार्य)	जुलाई, २००२ से क्रियाशील। इंदौर एवं उज्जैन संभागों में विद्युत विवरण का कार्य। दिनांक १ जून, २००५ से पूर्ण स्वायत्त।
संवर्द्ध संस्था की भूमिका	कार्यकारिणी
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	शासकीय कंपनी- श्री संजय कुमार शुक्ला (भा.प्र.से.) श्री आकाश बिपाठी (भा.प्र.से.) श्री संजय दूबे (भा.प्र.से.) आयुक्त इन्दौर संभाग डॉ.रिचीकेश टी.कैथन, ज्योत्येकर, आई.एम.इंदौर डा.वैसि जैन, सहोदयक प्राध्यापक आईआईटी, इंदौर श्री अजय चौबे, उप सचिव म.प्र.शासन वित्त विभाग श्री सुकल धारीवाल विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मप्र शासन उर्जा विभाग - संचालक श्री मनोज कुमार शंकर - संचालक(वाणिज्य) श्री एम.एम.केले - संचालक(विकानिकी) श्री राकेश सक्सेना, संचालक, एसबीएसआईटीएस - संचालक
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री संजय कुमार शुक्ला (भा.प्र.से.) - अध्यक्ष - प्रबंध संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	पोलो ग्राउंड, जी.पी.एस.कम्पाउंड, इंदौर
बैठक की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में चार)
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त वैचारिकिया जाता है	जी हाँ।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।
अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दे।	

म.प्र.पशुधन क्षेत्र विद्युत विवरण कंपनी लिमि. इंदौर

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	शासकीय कंपनी- श्री संजय कुमार शुक्ला (भा.प्र.से.) श्री विवेक पोरवाल (भा.प्र.से.) श्री संदीप यादव (भा.प्र.से.) श्री ए.सी. चक्रवर्ती, सी.ए. श्री विनोद कुमार सिन्हा, संचालक, आईआईएसईआई, भोपाल श्री ए.एम.बी.युगाधर, कार्यपालक निदेशक बी एवं ई एल भोपाल - संचालक श्री सुकल धारीवाल विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मप्र शासन उर्जा विभाग- संचालक श्री विजय श्रीरामार, निदेशक वाणिज्य - संचालक
मुख्य कार्यालय का पता	गोविन्दपुरा, भोपाल
बैठक की आवृत्ति	तीन माह (वर्ष में चार)
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	नहीं
क्या बैठक का कार्यवृत्त वैचारिकिया जाता है	जी हाँ।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?	वर्तमान में प्रावधान नहीं है।
अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण दे।	

विद्युत निरीक्षकालय भोपाल

संबंध संस्था का नाम एवं पता	मुख्य अभियंता (विसु) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, सतपुड़ा भवन
संबंध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	मध्य प्रदेश विद्युत निरीक्षकालय
संबंध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कृत्य)	विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच तथा रोकथाम हेतु उपाय, फैक्टरी, विद्युत मंडल, लायसेंसी और उच्चदाब एवं निम्नदाब उपभोक्ताओं की विद्युत स्थापनाओं की सामयिक जाँच, नये उच्चदाब कनेक्शनों का निरीक्षण, उन्हें चालू करने की स्वीकृति एवं निरीक्षण शुल्क की वसूली, सिनेमाओं के विद्युत अधिष्ठानों के रेखाचित्रों की जाँच, स्थापनाओं की जाँच, स्थापनाओं का निरीक्षण, पर्यवेक्षक/तार मिस्री अनुज्ञाओं एवं विद्युत ठेकेदारों को लायसेंस जारी करना, ठेकेदारी लायसेंसों का नवीनीकरण, विद्युत शुल्क खाते की जाँच करना, विद्युत शुल्क एवं उपकर वसूली।
संबंध संस्था की भूमिका	ऊर्जा विभाग के अधीन लागू विद्युत नियम, अधिनियम के तहत कार्य।
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	ऊर्जा विभाग के अंतर्गत निरीक्षकालय
मुख्य अधिकारी का नाम	श्री एस.एस.मुजालदे, मुख्य अभियंता (विसु) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक (चालू प्रभार)
मुख्य कार्यालय का पता	तृतीय मंजिल क्र-खंड, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
बैठक की आवृत्ति	प्रावधान नहीं है।
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	प्रावधान नहीं है।
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	प्रावधान नहीं है।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें।	प्रावधान नहीं है।

म.प्र.विद्युत नियामक आयोग

संबंध संस्था का नाम एवं पता	म.प्र.विद्युत नियामक आयोग, ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल।
संबंध संस्था का प्रकार(बोर्ड, परिषद समिति, निकाय या अन्य)	राज्य आयोग
संबंध संस्था का संक्षिप्त परिचय(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/ मुख्य कृत्य)	दिनांक २०.८.१९९८ को स्थापित। विद्युत दरों का निर्धारण, विद्युत पारेषण, वितरण, विद्युत व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना, प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, उपभोक्ताओं एवं विद्युत क्षेत्र के हितों का संरक्षण, विद्युत क्षेत्र हेतु मानक निर्धारण, आदि प्रमुख
संस्था की भूमिका	विद्युत नियामक आयोग
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	आयोग डा.देवराज बिरदी, अध्यक्ष श्री ए वी वाजपेयी, सदस्य श्री आलोक गुप्ता, सदस्य
मुख्य अधिकारी का नाम	डा.देवराज बिरदी, अध्यक्ष
मुख्य कार्यालय का पता	चतुर्थ एवं पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल-४६२०१६
क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है	सुनवाई में भाग ले सकती है।
क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है	जी हां।
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दें।	याचिका के निर्णय की प्रति प्राप्त कर सकती है।